भारत में उच्च न्यायालय

क्र.सं.	नाम	स्थापना वर्ष	आधिकारिक न्याय क्षेत्र	मुख्यालय/सीट	खण्डपीठ
1.	कलकत्ता	1july 1862	पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह	कलकत्ता	पोर्ट ब्लेयर और जलपाईगुड़ी

नोट :- कोलकाता हाईकोर्ट भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट है | इसकी स्थापना भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत हुई थी | इस इमारत की डिजाइन बेल्जियम में Ypress में Stadt-Haus या Cloth Hall के मॉडल पर आधारित सरकारी वास्तुकार मिस्टर वाल्टर ग्रेनविले द्वारा बनाई गई थी | इस उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 72 है |

2.	बंबई	18 Aug. 1862	महाराष्ट्र, गोवा और दादरा-नगर हवेली और दमन-दीव	बंबई	नागपुर,औरंगाबाद, पणजी
3.	मद्रास		तमिलनाडु और पुडुचेरी	चेन्नई	मदुरै
4.	इलाहबाद	11 June 1866	उत्तर प्रदेश	इलाहबाद	लखनऊ

नोट:- इलाहाबाद हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश Sir Walter Morgan थे और Mr. Simpson इस हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस एंड रजिस्ट्रार थे | वर्तमान में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 160 है | उत्तरी पश्चिमी प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का नाम 11 मार्च 1919 में जारी एक पूरक लेटर्स पेटेंट द्वारा इसका नाम बदलकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय कर दिया गया |

5.	कर्नाटक	1884	कर्नाटक	बंगलुरु	धारवाड़, कालबुर्गी

नोट:- इसे प्रारंभ में इसे मैसूर उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था लेकिन 1973 में इस हाईकोर्ट का नाम बदलकर कर्नाटक हाईकोर्ट कर दिया गया |

6.	पटना	1 March 1916	बिहार	पटना	कोई नहीं
7.	जम्मूकश्मीर	26 March 1928	जम्मूकश्मीर और लद्दाख	श्रीनगर और जम्मू	कोई नहीं

नोट:- लाला कंवर सेन अदालत के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में और राय बहादुर लाला बोध राज साहनी और खान साहब आगा सय्यद हुसैन न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए | मई से अक्टूबर के अंत तक उच्च न्यायालय श्रीनगर में स्थानांतरित हो जाता है और नवंबर से अप्रैल के अंत तक हाईकोर्ट का मुख्यालय जम्मू में होता है | न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 17 (13 स्थायी और 4 अतिरिक्त न्यायाधीश) है |

8.	मध्य प्रदेश	2 Jan 1936	मध्य प्रदेश	जबलपुर	इंदौर, ग्वालियर
9.	पंजाब और हरियाणा	15 Aug. 1947	पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़	चंडीगढ़	कोई नहीं

नोट:- इसका डिजाइन Le Corbusier के द्वारा बनाया गया था | स्वतंत्रता से पहले यह कोट लाहौर में स्थित था और स्वतंत्रता के पश्चात पंजाब दो भागों पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब में बट गया था और लाहौर हाई कोर्ट पश्चिमी पंजाब का हिस्सा था जो पाकिस्तान के अंतर्गत आता था | 15 अगस्त 1947 को नए पंजाब हाईकोर्ट की स्थापना शिमला में की गई खराब मौसम के कारण कोर्ट को चंडीगढ़ में स्थानांतरित कर दिया गया और इसने अपना कार्य अपनी वर्तमान इमारत में 17 जनवरी 1955 से प्रारंभ कर दिया जिसकी आधिकारिक घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरु के द्वारा 19 मार्च 1955 को की गई | 1966 में पंजाब हाईकोर्ट का नाम बदलकर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय कर दिया गया |

10.	गुवहाटी	5 April 1948	असम,नागालैंड, अरूणाचलप्रदेश, मिजोरम	गुवहाटी	कोहिमा, ईटानगर,आइजोल

नोट :- भारत के गवर्नर जनरल ने 1 मार्च 1948 को असम हाईकोर्ट के स्थापना की घोषणा की जो 5 अप्रैल 1948 से प्रभाव में आई | यह पहले शिलांग में स्थित था लेकिन 14 अगस्त 1948 को यह गुवाहाटी में शिफ्ट हो गया | इसे असम उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था लेकिन 1971 में इसका नाम बदलकर गुवाहाटी उच्च न्यायालय हो गया |

11.	उड़ीसा	26 July 1948	ओडिसा	कटक	कोई नहीं

नोट :- उड़ीसा नाम परिवर्तन अधिनियम 2011 के अंतर्गत उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कार दिया गया किन्तु उच्च न्यायालय के नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया |

12.	राजस्थान	29 Aug. 1949	राजस्थान	जोधपुर	जयपुर
13.	तेलंगाना	1954	तेलंगाना	हैदराबाद	कोई नहीं

नोट :- 2014 में आंध्रप्रदेश का विभाजन हुआ और तेलंगाना नाम से एक नये राज्य का गठन हुआ और हैदराबाद हाईकोर्ट दोनों राज्यों के लिए कॉमन हाईकोर्ट था भारत सरकार के दिनांक 26/12/2018 के आदेशानुसार दोनों राज्यों के लिए हाईकोर्ट की स्थापना की गयी जो 01/01/2019 से प्रभावी हुई |तेलंगाना राज्य के लिए हैदराबाद को ही तथा आंध्रप्रदेश के लिए अमरावती में उच्च न्यायालय की स्थापना की गयी |

14.	केरल	01 Nov. 1956	केरल और लक्षद्वीप	एर्नाकुलम	कोई नहीं
15.	गुजरात	01 May 1960	गुजरात	अहमदाबाद	कोई नहीं
16.	दिल्ली	31 Oct. 1966	दिल्ली	नई दिल्ली	कोई नहीं
17.	हिमाचल प्रदेश	25 Jan 1971	हिमाचल प्रदेश	शिमला	कोई नहीं

नोट :- हिमाचल प्रदेश की पुरानी इमारत का नाम Ravens Wood था |

18.	सिक्किम	16 May 1975	सिक्किम	गंगटोक	कोई नहीं
19.	छत्तीसगढ़	01 Nov. 2000	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	कोई नहीं

नोट :- यह भारत का 19 वां उच्च न्यायालय है | 1 नवम्बर 2000 को मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अंतर्गत स्थापना की गयी |

20.	उत्तराखण्ड	09 Nov. 2000	उत्तराखण्ड	नैनीताल	कोई नहीं
21.	झारखण्ड	15 Nov. 2000	झारखण्ड	राँची	कोई नहीं
22.	मेघालय	23 March 2013	मेघालय	शिलॉग	कोई नहीं
23.	मणिपुर	25 March 2013	मणिपुर	इम्फाल	कोई नहीं
24.	त्रिपुरा	26 March 2013	त्रिपुरा	अगरतला	कोई नहीं
25.	आन्ध्रप्रदेश	01 Jan. 2019	आन्ध्रप्रदेश	अमरावती	कोई नहीं

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की से की जाती है |उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश,उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करता है |

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए योग्यतायें तथा अन्य अहर्ताएं

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. कम से कम 10 वर्ष तक अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर रहा हो अथवा किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो |
3. 62 वर्ष की आयु पूरी न किया हो। अर्थात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृति की आयु 62 वर्ष होती है | उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृति की आयु 65 वर्ष होती है |
4. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानान्तरण किया जा सकता है |
5. अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है |
6. राज्य के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाई जाती है |
7. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं।
8. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि पर और पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते है |
9. कदाचार असमर्थता के आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है |

संविधान के भाग 6 के अध्याय 5 में अनुच्छेद 214 से 232 तक उच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्यायिक प्रक्रिया, क्षेत्राधिकार आदि के बारे में प्रावधान किया गया है -

अनुच्छेद 214 = संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है |

अनुच्छेद 215 = अनुच्छेद 215 के अनुसार उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है |

अनुच्छेद 216 = अनुच्छेद 216 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का गठन किया जाता है |

अनुच्छेद 217 = अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति दशाएं एवं उनके पद संबंधी प्रावधानों का वर्णन है |

अनुच्छेद 217 (1) = राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेगा तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उस राज्य के राज्यपाल और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेगा |

अनुच्छेद 218 = अनुच्छेद 218 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाए जाने संबंधी उपबंधों का प्रावधान किया गया है |

अनुच्छेद 219 = अनुच्छेद 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है |

अनुच्छेद 220 = अनुच्छेद 220 में स्थाई न्यायाधीश नियुक्त होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगाया गया है |

अनुच्छेद 221 = अनुच्छेद 221 के अंतर्गत न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते इत्यादि के संबंध में प्रावधान है |

अनुच्छेद 222 = अनुच्छेद 222 के अंतर्गत राष्ट्रपति देश के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के उपरांत किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है संबंधी प्रावधानों का विवरण है |

अनुच्छेद 223 = अनुच्छेद 223 कार्यकारी या कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधी प्रावधान से सम्बंदित है |

अनुच्छेद 224 = अनुच्छेद 224 अपर न्यायाधीश (Additional Judge)अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में है |

(नोट:- उच्च न्यायालय में कार्य की अधिकता के कारण जब राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो की कार्य निपटाने के लिए अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकता है तब राष्ट्रपति अधिकतम 2 के लिए अपर न्यायाधीश (Additional Judge)अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है |)

अनुच्छेद 224 A = उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है |

(नोट :- उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुके न्यायाधीश व्यक्ति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है **यह उपबंध 15 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963** द्वारा संविधान में जोड़ा गया था)

अनुच्छेद 225 = उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से संबंधित है |

अनुच्छेद 226 = उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति से संबंधित है |

अनुच्छेद 227 = उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों के अधीक्षण(Superintendence) की शक्ति से संबंधित है |

अनुच्छेद 228 = उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से कुछ मामलों को अपने पास स्थानांतरित करने की शक्ति से संबंधित है |

अनुच्छेद 229 = उच्च न्यायालय के पदाधिकारियों सेवकों तथा प्रशासनिक व्यय से संबंधित है |

अनुच्छेद 230 = किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार और अपवर्जन से संबंधित है |

अनुच्छेद 231 = दो या दो से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था से संबंधित है |

अनुच्छेद 232 = संविधान के 7वें संशोधन द्वारा इस अनुच्छेद को निरस्त या समाप्त कर दिया गया है |

महत्वपूर्ण तथ्य

- भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के उपबंधों के आधार पर कलकत्ता,बंबई और मद्रास में 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना की गयी थी |
- 1866 में चौथे उच्च न्यायालय के रूप में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई |
- अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था को अपनाया गया है लेकिन सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में संसद को यह अधिकार प्रदान किया गया कि वह दो या दो से अधिक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकेगा |
- वर्तमान में देश में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं |
- 25 उच्च न्यायालयों में से केवल 3 उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों पर है | 25 उच्च न्यायालयों में से 6 उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों(केंद्र शासित प्रदेशों सहित) पर है |
- 8 केंद्र शासित क्षेत्रों में से केवल दिल्ली का अपना एक अलग उच्च न्यायालय है |

- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है |
- उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है |
- उच्च न्यायालय में कोई भी व्यक्ति केवल अंग्रेजी भाषा में ही आवेदन कर सकता है किंतु यदि आवेदन कर्ता अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी या किसी अन्य राज्य भाषा का प्रयोग करना चाहता है तो राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उसे ऐसा करने की अनुमति प्रदान करेगा |
- भारत के किसी भी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी |
- 15 वे संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी

संकलनकर्ता

कु. मालती

पुस्तकालयाध्यक्ष

के.वि.चमेरा नं.1

YouTube Channel :- Malti’s Library Club

For more informative articles please click below provided link

https://kvchamerano1library.wordpress.com/gk-zone/%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a7/

Information Source: - All State High court official Government Website